संख्या-31/2018/642/29-3-2018/1कार्यालय /2018

प्रेषक,

एoपीoत्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उoप्रoशासन।

सेवा में ,

आयुक्त
खाद्य एवं रसद विभाग
जवाहर भवन,लखनऊ ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग - 3 लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर 2018

विषय: जिला खाद्य विपणन अधिकारी बंदायू के उपयोगार्थ विभागीय किरायेदारी में लिए गये श्री सतीश चन्द्र के भवन किराया स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 ले0शा0/212/123/जि0खा0वि0अ0/बंदायू दिनांक-08.5.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है की कार्यालय जिला खाद्य विपणन अधिकारी बंदायू के उपयोगार्थ विभागीय किरायेदारी में लिए गये के भवन जिसका कारपेट एरिया 134.80वर्ग मी॰है ,जिलाधिकारी बंदायू के पत्र दिनांक 12.8.2016 द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र तथा विभाग एवं भवन स्वामी मध्य निष्पादित अनुबंध पत्र एवं भवन स्वामी द्वारा दिए गये शपथ पत्र के आधार पर रु0 220.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह की दर से रु0 29000.00 (रु0उन्तीस हजार मात्र) मासिक किराया की स्वीकृति दिनांक 1.7.2015से 30.6.2020 तक पांच वर्ष के लिए श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है। 3-उक्त दर से किराया भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चितकर लिया जाये की प्रश्नगत कार्यालय भवन हेतु किराये के रूप में यदि कोई धनराशि पूर्व में में भुगतान की गयी हो तो उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अन्य अवशेष औपचारिकतायें भी अवश्य पूर्ण कर ली जाये ।

4-उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक .में अनुदान संख्या -21 के लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भाँडागार -01-खाद्य-001-निदेशनतथा प्रशासन -03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामें डाला जायेगा ।

5-यह आदेश प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(एoपीoत्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित;-

1-महालेखाकार (लेखा)प्रथम उ०प्र०इलाहाबाद।

2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा)/प्रथम सी0ए0एस0एस0।।। टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन उ०प्र०इलाहाबाद।

3-वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ ।
4-जिला पूर्ति अधिकारी ,आगरा ।

5-मुख्य कोषाधिकारी ,आगरा ।

6-श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री कैलाश चन्द्र निवासी -बंदायू मोहल्ला शिवशक्ति रोड ,सिविल लाइन बंदायू।

7-गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(ए0पी0त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।